राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय,राज0जयपुर

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/1816 दिनांकः 22/6/17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 165 के अन्तर्गत मास्टर प्लान को पुनरीक्षण करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिप्रय नगरपालिकाओं द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकष्ट किया गया है कि नगरपालिका के मास्टर प्लान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानो को द्वष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायो की सहमति के अभाव में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किये जाकर प्रभावी किये गये है। चूकिं उक्त मास्टर प्लान के संबंध में नगरीय निकायो की भगीदारी नगण्य होने के कारण इन मास्टर प्लान में मौके की स्थिति तथा मास्टर प्लान मे भू–उपयोग मे कतिपय विरोधाभास द्वष्टिगोचर हुए है इस कारण पुनः सर्वे कर मास्टर प्लान का रिव्यू किया जाना उपयुक्त होगा।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 में निम्न प्रावधान हैः–

"165. Review of Plan.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government or the Municipality at any time within ten years from the date on which a Plan comes into operation under this Act is of the opinion that the revision of such Plan is necessary, the State Government may direct the Municipality to revise or the Municipality may of its own motion undertake revision of such Plan after carrying out, if necessary, fresh civic survey and preparing an existing land use map and thereupon the foregoing provisions of this Chapter shall, so far as they can be made applicable, apply to the revision of such Plan as those provisions apply in relation to the preparation, publication and sanction of a Plan."

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यदि नगर पालिका वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान में रही कमियों को दृष्टिगत रखते हुये इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 165 के अन्तर्गत रिव्यू करना चाहे तो इस संबंध में विधि प्रकिया अपनाते हुये कार्यवाही की जाकर इस विभाग को अवगत करावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/1817-23 दिनांकः 22/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
05. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी